131 27 सरकारी यात्रा के लिए खरीदे गए टिकटों पर सीपीएसई के कर्मचारियों द्वारा अर्जित माइलेज प्वाइंट/अन्य प्रोत्साहनों का सदुपयोग

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर डीपीई के दिनांक 20 फरवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/03(4)/08 (वित्त) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों को डीओपीटी के दिनांक 03 जून 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/07/2008–स्थापना (ए) के अनुसार इस सीमा तक संशोधित करने का निश्चय किया गया है कि सीपीएसई केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एयरलाइनों द्वारा प्रस्तावित निःशुल्क कंपेनियन टिकट की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने कर्मचारियों को अनुमति दे सकते हैं।

2. ये अनुदेश व्यय विभाग द्वारा समय–समय पर जारी और सीपीएसई के लिए यथालागू मितव्ययिता संबंधी उपाय और व्यय का औचित्य स्थापन के अध्यधीन होंगे।

3. यह मंत्री, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. डीपीई/3 (4)/08–वित्त, दिनांक : 10 मई 2013)

*****